

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
“इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम”
कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार “इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम” विषय पर 05 दिवसीय कोर्स दिनांक 25.06.2018 से 29.06.2018 तक आयोजित किया गया है।

इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 22 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरुआत कर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न आयामों के बारे में बताया।



Course on Investigation of organized Crime

Rajasthan Police Academy, Jaipur

25.06.2018 to 29.06.2018





Sitting Row L to R = Anu Choudhary, Parveen Kumar, Rajesh Sharma IPS (Dy. Director), Saurabh Srivastava, IPS (Addl. DGP Cum Director), Surendra Sharma Dy.S.P, Rajendra Choudhary, Hemlata Sharma

Ist Row L to R = Udayveer Singh, Rajendra Singh, Prathvi Raj, Rajendra Singh, Shri Ram Meena, Satya Narayan Jangid, Murlidhar Nagar, Anant Prakash Mishra, Bajrang Lal, Suresh Singh

IInd Row L to R = Lokendra Singh, Mahendra Kumar, Vishnu Singh, Rakesh Kumar Yadav, Hari Shanker Katara, Lal Chand Meena, Rajendra Khandelwal, Imaran Khan, Suresh Chand

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रातः 10.30 से सांय 05.00 तक रही है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विषय पर विभिन्न कानूनों की जानकारी, संगठित अपराधों से सम्बन्धित जानकारी, साक्ष्य संकलन करने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी एवं आरोप पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं ने उपस्थित होकर व्याख्यान दिये, साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त एवं मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव प्रशिक्षणार्थियों से साझा किये।

कोर्स के दौरान प्रथम दिवस को श्री एम एम अत्रे आई जी पी रिटा0 ने एफआईआर का मसौदा तैयार करना, संगठित अपराध के विभिन्न अपराधों और गिरफ्तारी और नवीनतम संशोधन में कानूनी प्रावधान के संदर्भ में तथा जालसाजी के संबंध में जानकारी प्रदान की। श्री मेहेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने संगठित अपराध में प्रासंगिक सबूत संग्रह कैसे किये जाते हैं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विषय पर सामूहिक चर्चा की।

द्वितीय दिवस को श्री श्रीचन्द्र, एडीपी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने कुछ केस स्टडीज और धारा 401, 402 आईपीसी के लिए विशेष संदर्भ के साथ गंभीर संगठित अपराधों में अभियोजन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने संगठित अपराध-एनएसए, गुंडा अधिनियम, पासा अधिनियम की रोकथाम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री दिलीप कुमार सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने संगठित अपराधों की जांच एवं कुछ केस स्टडीज के बारे में विस्तार से बताया।

तृतीय दिवस को श्री आर0एस0 बत्रा सेवानिवृत्त आर0ए0एस0 ने भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच - डबल पट्टा, नकली समझौतों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (टीपीए) अटॉर्नी की शक्ति रिकॉर्ड और संबंधित विवादों में छेड़छाड़ करने संबंधी जानकारी प्रदान की। इन्होंने राजस्थान के सरकारी अधिनियमों की नवीनतम जानकारी प्रदान की। जमीन विवादों के बारे में तथा निराकरण के नियम नवीनतम सर्वोच्च न्यायालय के पारित नियमों की प्रेरणादायक जानकारी प्रदान की। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने ड्रग ट्रेफिकिंग एवं नार्को आतंकवाद के संबंधित केसेज के वित्तीय अनुसंधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

चतुर्थ दिवस को श्री आर.एस. शर्मा से.नि. सहायक निदेशक एफ.एस.एल. जयपुर ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स में डॉक्यूमेंट एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की अद्यतन वैज्ञानिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी। डिजिटल एवीडेन्स को कैसे एकत्रित करें कि नष्ट ना हो, की सटीक जानकारी दी एवं डिजिटल एवीडेन्स के प्रकार, विशेषताएं, कम्प्यूटर की उपयोगिता के बारे में रोचक जानकारी प्रदान की। श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक (से.नि.) ने बाल यौन व्यभिचार एवं व्यावसायिक यौन शोषण महिलाओं और लड़कियों के तस्करी फिरौती के लिए अपहरण की जांच एवं राजमार्ग पर डकैती पर अपने व्याख्यान दिये।

अन्तिम दिवस को श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने संगठित अपराध में सेल फोन, इंटरनेट एवं कंप्यूटर का उपयोग तथा जांच की एसओपी के साथ-साथ मोबाइल, फेसबुक, एटीएम, फेक आईडी से फ्रॉड हार्डडिस्क की वीडियो बनाकर उनकी जब्ती की कार्यवाही करना, तलाश करना तथा सीडीआर मंगवाना, आई पी नम्बर लेना, तथा कौन कौन से साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए आदि के बारे में सामूहिक चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस में दिनांक 29.06.208 02:15 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया गया। कोर्स का समापन-समारोह अकादमी स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल नं.04 में किया गया जिसमें कोर्स डायरेक्टर श्री श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के उद्बोधन के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

(सुरेन्द्र शर्मा)
उप पुलिस अधीक्षक,
कोर्स निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

